

# बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट पहचान सं०(CIN)- U45200BR1974SGC001126

प्रधान कार्यालय-कौटिल्य नगर, बि०वि०स०पु०-5, थाना-हवाई अड्डा थाना, पटना-800014.

फोन नं. 2223727 ई-मेल-policenigam@bihar.gov.in

## वाक-इन-इंटरव्यू

### संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के स्थापना एवं प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु संविदा के आधार पर निम्नलिखित पदों पर नियोजन हेतु दिनांक-10.03.2026 को पूर्वाह्न 10:30 से 01:30 अपराह्न तक निगम मुख्यालय में "वाक-इन-इंटरव्यू" का आयोजन किया गया है। इच्छुक एवं पात्रता की शर्तों को पूरा करनेवाले उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज सहित "वाक-इन-इंटरव्यू" में भाग ले सकते हैं :-

#### 1. प्रशासनिक पदाधिकारी- 01 पद

अर्हता- केन्द्र सरकार/बिहार सरकार के वेतन स्तर-11 या उससे ऊपर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, जो स्वस्थ, प्रशासनिक कार्यों में दक्ष एवं अनुभवी नियोजन में भाग ले सकते हैं।

वैसे अभ्यर्थी, जिन पर कोई निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/आपराधिक मामला लंबित हो अथवा सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहद दण्ड अथवा अंतिम 05 वर्षों में कोई दण्ड(लघु/वृहद) अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन/ग्रेज्युटि से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित हो, की सेवायें नहीं ली जायेगी।

आयु-दिनांक- 01.03.2026 को अधिकतम उम्र 62 वर्ष

मानदेय- सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन + सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद की राशि। मासिक मानदेय की यह राशि उपर्युक्त पद पर संविदा पर कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।

चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित मानदेय पर 1 वर्ष के लिए नियोजित किया जायेगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर समीक्षा के उपरांत सेवा विस्तार किया जा सकता है। अनुबंध के आधार पर यह नियोजन अस्थायी होगा और किसी भी समय उभय पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का मानदेय देकर सेवा समाप्त करने का अधिकार निगम को होगा। यदि सेवा त्यागना हो तो एक माह पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा।

इच्छुक उम्मीदवार उपर्युक्त पद पर नियोजन हेतु पात्रता से संबंधित दस्तावेज, सेवा इतिहास, पूर्ण पेंशन पर निर्गत पी०पी०ओ०, सिविल सर्जन द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की मूल एवं छायाप्रति तथा विहित प्रपत्र, जो निगम के वेबसाईट <https://bpbcc.bihar.gov.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है, में आवेदन के साथ दिनांक-10.03.2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से निगम मुख्यालय में आयोजित वॉक इन इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं।

#### अन्य जानकारी एवं शर्तें-

1. अभ्यर्थी आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करेंगे कि "मैं..... घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक/निगरानी वाद दर्ज नहीं है तथा किसी न्यायालय में मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षों में मेरे विरुद्ध कोई वृहद दण्ड अथवा अंतिम 05 वर्षों में कोई दण्ड(लघु/वृहद) अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन/ग्रेज्युटि से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित नहीं है। आवेदन में दिये गये तथ्य/सूचना गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जा सकती है"।

2. वॉक इन इंटरव्यू हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ह०/-  
सचिव

ज्ञापांक-.....NO 604 (30).....


दिनांक-17/3/2026

प्रतिलिपि- श्री जितेन्द्र गिरी, वरीय निजी सहायक को विज्ञापन, आवेदन प्रपत्र सहित, निगम के वेबसाईट पर upload करने हेतु प्रेषित।

M. Ad.  
17.3.2026  
सचिव

संविदा के आधार पर प्रशासनिक पदाधिकारी के पद पर नियोजन (सेवानिवृत्त पदाधिकारी)  
के लिए आवेदन हेतु विहित प्रपत्र

1. अभ्यर्थी का नाम - .....
2. पिता/पति का नाम- .....
3. (i) जन्म तिथि - .....
- (ii) 01- 03- 2026 को आयु - .....
4. सेवा निवृत्ति की तिथि.....
5. विभाग/कार्यालय का नाम जहाँ से सेवा निवृत्त हुए हैं .....
- .....
6. स्थायी पता - .....
- .....
- ..... मोबाईल नम्बर -
7. पत्राचार का पता - .....
- .....
- ..... मोबाईल नम्बर -
8. ई-मेल id- .....
9. सेवा इतिहास :-
10. पी0पी0ओ0 की प्रति :-
11. असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र :- .....
12. संलग्न प्रमाण पत्रों की संख्या :- .....
13. मैं..... घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक/निगरानी वाद दर्ज नहीं है तथा किसी न्यायालय में मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। सेवा काल के अंतिम 10 वर्षों में मेरे विरुद्ध कोई वृहद दण्ड अथवा अंतिम 05 वर्ष में कोई दण्ड (लघु/वृहद) अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन/ग्रेज्युटि से कटौति का कोई दण्ड अधिरोपित नहीं है। आवेदन में दिये गये तथ्य/सूचना गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जा सकती है।



तिथि :-

हस्ताक्षर